भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1014

दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी

†1014. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम राज्य डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी का सामना कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त राज्य में नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के लिए संकायों की भर्ती शुरू की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) राज्य में ऐसी कमी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालाँकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है।

असम राज्य में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को उन्नत करने की दिशा में काम कर रहा है और विशेषज्ञों और डॉक्टरों (पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और डीएच) की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

	स्वीकृत पद	पदस्थ नियमित+ संविदात्मक
विशेषज्ञ	1132	1135
एमओ एमबीबीएस	3406	3434

असम राज्य में स्वीकृत पदों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं।

(ग): एम्स गुवाहाटी में संकाय पदों का विवरण निम्नानुसार है:

स्वीकृत पद भरे हुए पद रिक्त पद:

स्वीकृत पद	पदस्थ	रिक्त
183	116	67

पदों का सृजन और भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों की पूर्ति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें पात्र, योग्य डॉक्टरों/स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता, आरक्षण रोस्टर आदि शामिल हैं।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की रिक्तियों और कमी को दूर करने के लिए कई नीति-स्तरीय उपाय किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों (ज़िला अस्पताल और उससे नीचे) में मानव संसाधन की कमी को पूरा करके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए राज्यों को तत्काल और मध्य-कालिक आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करता रहता है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी में सहायता के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता को और बेहतर बनाने के लिए, एनएचएम के तहत विभिन्न लचीलेपन प्रदान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उपयोग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर सकते हैं और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और उपलब्ध समग्र संसाधनों के आधार पर अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बजटीय सहायता का प्रस्ताव कर सकते हैं।
